प्रशान्त वर्मा
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल : dircom@uppcl.org
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 3430/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांकः 24, नवम्बर, 2025

विषय :–"बिजली बिल राहत योजना 2025–26" में पंजीकरण धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
{md@pvvnl.org / md@dvvnl.org / md@mvvnl.org / md@puvvnl.in / mdkesco@kesco.org.in}

महोदया/महोदय,

विदित है कि कारपोरेशन के पत्रांक 3308/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांक 13.11.2025 के माध्यम से समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.12.2025 से 28.02.2026 तक एल0एम0वी0–1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु "बिजली बिल राहत योजना 2025–26" लागू की गयी है।

योजना के प्रावधान के अनुसार विद्युत बिल में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट प्राप्त करने के लिये उपभोक्ता को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विद्युत बिल में छूट प्राप्त करने के लिये पंजीकरण हेतु उपभोक्ता को रू0 2000 का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट प्राप्त करने के लिये रू0 2,000 अथवा "राजस्व निर्धारण धनराशि" का 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

उक्त के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण धनराशि कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं है। विद्युत बिलों में छूट हेतु उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि को उपभोक्ता के विद्युत बकाये के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार चोरी के प्रकरणों में छूट हेतु उपभोक्ता/व्यक्ति द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि को "राजस्व निर्धारण धनराशि" के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

अनुरोध है कि उक्त से सभी संबधित कार्मिकों को अवगत कराते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
24.11.2025
(प्रशान्त वर्मा)
निदेशक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0/आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।